

28/12 आज पत्रावली पेश हुई। वकील...
 उपस्थित/मददगार स्कीम/पालना रिपोर्ट प्राप्त
 नहीं हुई है। तहसीलदार को पुनः लिखा जा रहा
 दिनांक 29-1-18 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी, महवा

29/18 आज पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार महवा से बँटवारा स्कीम प्राप्त हो

चुकी है। वादीगण के वकील की बहस सुनी गयी। वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया विभाजन स्कीम के अनुसार वाद को अंतिम रूप से डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व से ही एकपक्षीय कार्यवाही हो रही है। अतः वादीगण का वाद निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम अमोलक नगर में स्थित है।

बँटवारा स्कीम
 पर कोई
 आपत्ति नहीं
 है।

रामशश शर्मा

G. d.

रामशश
 शर्मा
 एडवोकेट

वकील वादी
 29-1-18

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
1	रविकान्त देवेन्द्र महेन्द्र सुरेन्द्र	270/3	0.32
	पि. मोतीलाल हि.ब.जाति	1072/2	0.27
	ब्राहमण निवासी अमोलक	1072/6	0.04
	नगर तहसील महवा	1072/1188	0.01
		1127/1	1.05
	योग	5	1.69
2.	होतीलाल पुत्र मदनलाल	270/1	0.32
	जाति ब्राहमण सा.देह	1071/1	0.27
		1072/3	0.05
		1125/1	1.06
	योग	4	1.70
3.	रामसिंह पुत्र मदनलाल जाति	270/2	0.31
	ब्राहमण निवासी अमोलक	1071/2	0.08
	नगर तहसील महवा	1072/1	0.19
		1072/4	0.05
		1125/2	0.90
		1126	0.01
	1127/2	0.15	
	योग	7	1.69
4.	राकेश कुमार उर्फ ठण्डी पुत्र	270/4	0.32
	रामसिंह राहिन एस.बी.बाई.	1068	0.26
	शाखा महवा मुर्त.जाति	1072/7	0.06
	ब्राहमण सा.देह	1125/3	1.05
	योग	4	1.69

उपस्थित अधिकारी
 महवा (जिला दौसा)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज <u>रविकान्त</u> बनाम <u>विमलो देवी</u> मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	--

5.	रविकान्त देवेन्द्र महेन्द्र सुरेन्द्र	965	0.19
	पि.मोतीलाल हि.1/4	968	0.22
	होतीलाल रामसिंह पि.	1072/5	0.02
	मदनलाल, हि.ब.1/2 बिला रहन राकेशकुमार उर्फ ठण्डी पुत्र रामसिंह हि.1/4 राहिन एसबीआई शाखा महवा मुर्त. जाति ब्राहमण निवासी अमोलक नगर तहसील महवा		
योग		3	0.43

प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी की आराजी के उपयोग-उपभोग में बांधा उत्पन्न नहीं करें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (सुनील दासा)
महवा (दासा)